



2026:AHC:8305

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या- 42333 / 2025

शैलेन्द्र सिंह

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी पक्ष

आवेदक के अधिवक्ता

: अनुप कुमार पांडेय, रवि साहू

विपक्षी पक्ष के अधिवक्ता :

न्यायालय संख्या - 68

माननीय न्यायमूर्ति अशुतोष श्रीवास्तव

आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री रवि साहू तथा राज्य-प्रतिवादियों की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता श्री अरिमर्दन यादव को सुना।

यह जमानत आवेदन भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 483 के अंतर्गत अभियुक्त-आवेदक शैलेन्द्र सिंह की ओर से प्रस्तुत किया गया है, जिसमें प्रार्थना की गई है कि मुकदमा अपराध संख्या 136 वर्ष 2011, धारा 2/3 उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द और समाज विरोध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, थाना रसूलाबाद, जनपद कानपुर नगर में विचारण लंबित रहने के दौरान उसे जमानत पर रिहा किया जाए।

आवेदक के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि अभियुक्त-आवेदक निर्दोष है। उसे इस प्रकरण में झूठा फंसाया गया है तथा वह दिनांक 10.09.2025 से जेल में निरुद्ध है। आवेदक के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि पूर्व में आवेदक जमानत पर था, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अनुपस्थित रहने के कारण दिनांक 20.08.2016 को उसके विरुद्ध गैर-जमानती वारंट जारी किया गया। जब आवेदक को उक्त वारंट के जारी होने की जानकारी हुई, तो उसने दिनांक 03.09.2025 को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया और तब से वह न्यायिक अभिरक्षा में है। यह भी प्रस्तुत किया गया कि आवेदक के विरुद्ध तीन मामलों का आपराधिक इतिहास है, जिसका समुचित स्पष्टीकरण दिया गया है तथा

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



जमानत पर रिहा होने की स्थिति में उसके न्याय से भागने या साक्ष्यों से छेड़छाड़ करने की कोई संभावना नहीं है। अतः जमानत प्रदान किए जाने की प्रार्थना की गई।

विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने जमानत प्रार्थना का कड़ा विरोध किया, किन्तु उपर्युक्त तथ्यों का खंडन नहीं कर सके।

उपरोक्त समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों, आरोपों की प्रकृति, दोषसिद्धि की स्थिति में दंड की गंभीरता, उपलब्ध साक्ष्यों की प्रकृति, साक्षियों को प्रभावित किए जाने की आशंका तथा प्रथम दृष्टया मामले को दृष्टिगत रखते हुए, प्रकरण के गुण-दोष पर कोई टिप्पणी किए बिना, यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि जमानत का मामला बनता है।

अतः जमानत आवेदन स्वीकृत किया जाता है।

अभियुक्त-आवेदक **शैलेन्द्र सिंह** को उपरोक्त मुकदमा अपराध संख्या में, व्यक्तिगत बंधपत्र तथा समान धनराशि के दो विश्वसनीय जमानतदार प्रस्तुत करने पर, संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अधीन, निम्नलिखित शर्तों के साथ जमानत पर रिहा किया जाए—

1. आवेदक साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।
2. आवेदक किसी भी आपराधिक गतिविधि में संलिप्त नहीं होगा।
3. आवेदक अभियोजन साक्षियों को दबाव में नहीं लेगा/धमकाएगा तथा विचारण में सहयोग करेगा।
4. आवेदक प्रत्येक नियत तिथि पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा, जब तक कि संबंधित न्यायालय द्वारा उसके व्यक्तिगत उपस्थित होने से अधिवक्ता के माध्यम से छूट न दी जाए।

उपर्युक्त शर्तों के किसी भी उल्लंघन की स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय को उसकी जमानत निरस्त करने की स्वतंत्रता होगी।

(अशुतोष श्रीवास्तव, न्यायमूर्ति)

दिनांक : 13 जनवरी, 2026

दीपक/